

**Duplicate Copy**

27-Nov-2021

**आदेश**

तिथि

Oct 11 2021

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कोलाकुशमा थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
121	1365	0 एकड़, 5.69 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री छोटु मंडल	पिता	स्व० वकिल मंडल

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3368 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
गोखुल मंडल वो रासबिहारी मंडल	पिता	उतीम मंडल
संतोष मंडल वो गौर मंडल	पिता	ठाकुर मंडल
प्रहलाद मंडल वो हरि मंडल वो मधु मंडल	पिता	भुषण मंडल
उपेन्द्र मंडल वो नगेन्द्र मंडल	पिता	भीम मंडल
दुर्योधन मंडल	पिता	अर्जुन मंडल
सहदेव मंडल	पिता	मौजी मंडल
आसु मंडल	पिता	महेन्दी मंडल
श्रीराम मंडल वो चान्द मंडल	पिता	कुंजु मंडल
सीताराम मंडल वो छोटु मंडल	पिता	वकिल मंडल
श्यामलाल सिंह	पिता	भुपति सिंह
मति मंडलानी वो विजली मंडलानी	पिता	फिकर मंडल
मुनु मंडल वो मनिन्द्र मंडल	पिता	युधिस्टर मंडल
शम्भु मंडल वो भरत मंडल	पिता	हरिराम मंडल
जगर मंडल वो महादेव मंडल	पिता	दामु मंडल
अनील मंडल वो नासीक मंडल	पिता	दामु मंडल
मनसाराम मंडल	पिता	कन्हैया मंडल
मथन मंडल वो रतन मंडल	पिता	कन्हैया मंडल
संतोष मंडल	पिता	तारु मंडल
मंटु मंडल वो ववलु मंडल	पिता	तारु मंडल
शंकर मंडल वो किंकर मंडल	पिता	मोती मंडल
अंकुर मंडल वो राधेश्याम मंडल	पिता	मोती मंडल

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 5रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद